



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-27082022-238420
CG-DL-W-27082022-238420

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 27—सितम्बर 2, 2022 (भाद्रपद 5, 1944)
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 27—SEPTEMBER 2, 2022 (BHADRA 5, 1944)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	735	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	681	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	2493	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	6665
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	115
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	2317
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	753	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	681	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	2493	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	6665
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	115
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	2317
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 अगस्त 2022

सं. 20012/02/2019-रा.भा.(नीति)—राज्य सभा सचिवालय के कार्यालय ज्ञापन सं० एलएएफईएएस-सीओ18012(32)/1/2022-समिति अनुभाग (समन्वय) – आरएसएस दिनांक 03.08.2022 के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित माननीय संसद सदस्यों को संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है:—

1. श्रीमती संगीता यादव
2. श्री सुजीत कुमार

मीनाक्षी जौली
संयुक्त सचिव

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 अगस्त 2022

संकल्प

सं. 254/2/2022-हिंदी-एमएनआरई—नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन या हिंदी में अनूदित पुस्तकों को बढ़ावा देने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अक्षय ऊर्जा पुरस्कार योजना (विगत में "प्राकृतिक ऊर्जा पुरस्कार योजना") शुरु की गई थी। अब कलेंडर वर्ष 2020 के पुरस्कारों से इस योजना का नाम बदल कर 'राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा राजभाषा पुरस्कार योजना' किया गया है और पूर्ववर्ती योजना के संबंध में पिछले दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करते हुए संशोधित/परिवर्तित/नए नाम से योजना इस प्रकार है:—

1. नाम: योजना का नाम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन और हिंदी में अनूदित पुस्तकों के लिए 'राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा राजभाषा पुरस्कार योजना' है।
2. परिभाषा: इस योजना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
 - i. "योजना" का अभिप्राय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन और हिंदी में अनूदित पुस्तकों को बढ़ावा देने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पुरस्कार योजना से है।
 - ii. "मौलिक" से अभिप्राय मूल रूप से हिंदी में लिखी गई और प्रथम बार प्रकाशित की गई पुस्तक से है।
 - iii. "अनूदित" से अभिप्राय अन्य भाषाओं से हिंदी में अनूदित की गई और प्रथम बार प्रकाशित पुस्तक से है।
 - iv. "पुस्तक" से अभिप्राय प्रकाशित पुस्तक से है।
 - v. "वर्ष" से अभिप्राय कैलेण्डर वर्ष से है।
3. उद्देश्य: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सरकारी कामकाज में तकनीकी/वैज्ञानिक विषयों पर कार्य किया जाता है। ज्ञान के क्षेत्र में तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विषयों में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने में कठिनाई आती है, क्योंकि हिंदी में इन विषयों में पुस्तकों की कमी है। कर्मचारियों को भी ऐसे विषयों पर अपना सरकारी कामकाज हिंदी में करने में कठिनाई आती है, क्योंकि वे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के विषयों पर हिंदी शब्दावलियों से परिचित नहीं हैं। मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन और हिंदी में पुस्तकों के अनुवाद को बढ़ावा देने के एकमात्र उद्देश्य से यह योजना चला रहा है।

4. पुरस्कार: इस योजना के तहत निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे:

श्रेणी	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार
1. हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए नकद पुरस्कार की राशि	1,50,000/- रु. + एक प्रमाण पत्र + एक स्मृति चिह्न	1,00,000/- रु. + एक प्रमाण पत्र + एक स्मृति चिह्न
2. अन्य भाषाओं से हिंदी में अनूदित पुस्तकों के लिए नकद पुरस्कार की राशि	1,00,000/- रु. + एक प्रमाण पत्र + एक स्मृति चिह्न	75,000/- रु. + एक प्रमाण पत्र + एक स्मृति चिह्न

5. पात्रता मानदंड:

- लेखक भारत का नागरिक हो।
- पुस्तक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित विभिन्न विषयों पर लिखी हो सकती है। उदाहरण के लिए; सौर तापीय, पवन, सौर पीवी, बायोगैस, जैव-ऊर्जा, पन-बिजली, अपशिष्ट से ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, नवीन और अक्षय ऊर्जा के स्रोत इत्यादि।
- सभी लेखक, चाहे वे सरकारी कर्मचारी हो, अथवा गैर-सरकारी व्यक्ति हो, योजना में भाग ले सकते हैं।

6. सामान्य शर्तें:

- प्रविष्टि उपर्युक्त पैरा 4 में उल्लिखित श्रेणियों में से केवल एक श्रेणी के लिए भेजी जा सकती है। एक से अधिक लेखक होने पर प्रत्येक सह-लेखक को निर्धारित प्रपत्र में अलग-अलग आवेदन करना होगा।
- पुस्तक कम-से-कम 100 पृष्ठों की होनी चाहिए।
- पुस्तक में संबंधित विषय के बारे में विश्लेषणात्मक समीक्षा होनी चाहिए। पीएचडी के शोध पत्र, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, आदि पर लिखी गई अथवा पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तकें पात्र नहीं होंगी।
- योजना के तहत पहले प्रस्तुत की जा चुकी पुस्तक पुनः स्वीकार नहीं की जाएगी।
- किसी सरकारी संगठन द्वारा पहले पुरस्कृत की जा चुकी पुस्तकें इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगी। यदि इस योजना के तहत पुरस्कारों की घोषणा से पहले पुस्तक किसी अन्य पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कृत की जाती है, तो पुस्तक के लेखक द्वारा तत्काल सूचित किया जाना चाहिए।
- लेखक पुस्तक में दिए गए तथ्यों और आंकड़ों के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा और जहां तक संभव हो, साक्ष्य के रूप में संदर्भ देना होगा।
- यदि किसी व्यक्ति को पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत पुरस्कार मिला है तो उसकी प्रविष्टि पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, सह-लेखक (यदि कोई हो) इस योजना में भाग ले सकता है।
- यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रविष्टियों में कोई भी पुस्तक पुरस्कार के लिए योग्य नहीं है, तो इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
- यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के एक से अधिक लेखक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी।

7. प्रविष्टियां आमंत्रित करने का माध्यम:

- पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने के लिए निर्दिष्ट पोर्टल प्रति वर्ष 1 जनवरी से 30 जून तक खुला रखा जाएगा। मंत्रालय द्वारा सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों को पुरस्कारों के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने और साथ ही, निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से प्रविष्टि भेजने का अनुरोध किया जाएगा।
- साथ ही, सूचना को मंत्रालय की वेबसाइट और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म तथा यथानिर्णीत किसी अन्य संचार माध्यम पर संगत ब्यौरों के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।

8. प्रविष्टियां भेजने की प्रक्रिया:

- i. पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां एमएनआरई पोर्टल/राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर केवल ऑनलाइन मोड (ई-मेल या ऑफलाइन नहीं) से प्राप्त की जाएंगी। ऑफलाइन प्रविष्टियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। प्रविष्टियां नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को ऑनलाइन प्रविष्टि फॉर्म (अनुलग्नक-I) के अनुसार, व्यौरों सहित प्रविष्टि फॉर्म में दिए गए सहायक दस्तावेजों (अर्थात् मौलिक/अनूदित पुस्तक/अनुमति पत्र आदि) के साथ भेजी जाएंगी।
- ii. कोई लेखक योजना में केवल एक ही प्रविष्टि भेज सकता है।

9. पुस्तकों के मूल्यांकन की प्रक्रिया:

- i. योजना के तहत प्राप्त प्रविष्टियों (पुस्तकों) का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञों की एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - क. संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष स्तर/वैज्ञानिक 'जी' — अध्यक्ष
 - ख. तीन वैज्ञानिक (एफ/ई/डी/सी) — सदस्य
 - ग. उप निदेशक (राजभाषा)/सहायक निदेशक (राजभाषा) — सदस्य सचिव
- ii. मंत्रालय द्वारा गठित मूल्यांकन समिति और पुरस्कार समिति द्वारा पुरस्कार का निर्णय किया जाएगा।
- iii. यदि किसी वर्ष के दौरान पुस्तक, पुरस्कार के लिए उपयुक्त नहीं पाई जाती है, तो पुरस्कार समिति पुरस्कार को स्थगित करने अथवा सांत्वना पुरस्कार के रूप में उपयुक्त राशि प्रदान करने का निर्णय कर सकती है।
- iv. पुस्तक का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा:

क्रम. सं.	मूल्यांकन मानदंड	वेटेज
1.	पुस्तक की विषय-वस्तु	15%
2.	तथ्यात्मकता और व्यावहारिकता	15%
3.	मौलिकता	15%
4.	भाषा और शैली	15%
5.	शब्दों की मानकता और एकरूपता	15%
6.	एमएनआरई के कार्यक्षेत्र के अनुरूप प्रासंगिकता	15%
7.	चित्रों की सार्थकता	05%
8.	मूल्यांकन समिति की अपेक्षानुसार कोई अन्य मूल्यांकन मानदंड	05%

- v. मूल्यांकन समिति के विशेषज्ञ समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार मानदेय के हकदार होंगे।
- vi. मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर निर्णय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा।

10. विभिन्न गतिविधियों के लिए समय-सारणी:

पुरस्कारों के संबंध में हर वर्ष की जाने वाली गतिविधियों के लिए समय-सारणी अनुलग्नक-II में दी गई है।

11. पुरस्कारों की घोषणा और पुरस्कार वितरण:

- i. पुरस्कार विजेता को पुरस्कार के निर्णय की सूचना ई-मेल द्वारा दी जाएगी और सूचना को मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।
- ii. पुरस्कार की घोषणा के बाद माननीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री/माननीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय द्वारा आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक/समारोह में विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा।

- iii. बाहर से आने वाले पुरस्कार विजेताओं को भारत सरकार के नियमों के अनुसार आने और जाने के लिए द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी का रेल किराया और ठहरने के लिए दैनिक भत्ते की प्रतिपूर्ति की जाएगी। दिल्ली में ठहरने की व्यवस्था, पुरस्कार विजेता द्वारा स्वयं की जाएगी।

12. सामान्य सूचना:

- i. इस योजना के तहत पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक का अपनी पुस्तक पर कॉपीराइट बना रहेगा।
ii. पुरस्कार प्रदान करने के लिए पुस्तक के चयन अथवा पुरस्कार के लिए पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया विधि के संबंध में कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
iii. योजना की समस्त जानकारी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वेबसाइट www.mnre.gov.in पर भी उपलब्ध है।

13. पुरस्कारों से संबंधित विविध प्रावधान:

- i. मंत्रालय के पास बिना कोई कारण बताए/प्रकट किए किसी भी प्रविष्टि को अस्वीकार करने का अधिकार है।
ii. यदि किसी कलेन्डर वर्ष के लिए पुरस्कारों पर विचार हेतु उपयुक्त पुस्तकें/प्रविष्टियां प्राप्त नहीं होती हैं जो उस वर्ष विशेष के लिए पुरस्कार समाप्त समझे जाएंगे।
iii. पुरस्कार विजेताओं के चयन के संबंध में सरकार का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा तथा आवेदक सहित किसी भी व्यक्ति को सरकार के निर्णय पर प्रश्न उठाने अथवा ऐसे निर्णय की वैधता को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं होगा।
iv. यह एक सतत योजना है, हालांकि बेहतर कार्यान्वयन के लिए कलेन्डर वर्ष 2024 के पुरस्कारों के बाद इसकी समीक्षा की जा सकती है।

14. योजना में छूट देने का अधिकार:

यदि केन्द्र सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित हो, तो इसके लिए कारण को लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी प्रावधान को आदेश जारी कर, छूट दी जा सकती है।

अनुलग्नक-I

प्रविष्टि फार्म

'राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा राजभाषा पुरस्कार योजना'

(नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन और हिंदी में अनूदित पुस्तकों के लिए)

(टिप्पणी: यदि लेखक एक से अधिक हैं, तो प्रत्येक सह-लेखक द्वारा अलग-अलग फॉर्म भरा जाना है)

नवीनतम पासपोर्ट
साइज
फोटो अपलोड करें

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | पुस्तक का शीर्षक (हिंदी में) | : | |
| | (अंग्रेजी में) | : | |
| 2. | क्या पुस्तक मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है | : | हां/नहीं (यदि हां, तो कृपया पुस्तक अपलोड करें) |
| 3. | क्या पुस्तक हिंदी में अनूदित है | : | हां/नहीं (यदि हां, तो कृपया पुस्तक अपलोड करें) |
| 4. | पुस्तक की विषय-वस्तु | : | |
| 5. | i. लेखक का नाम (हिंदी में) | : | |
| | (अंग्रेजी में) | : | |
| | क. लेखक का पूरा पता | : | |
| | ख. टेलीफोन/मोबाइल नं. | : | |
| | ग. ई-मेल पता | : | |

- ii. सह-लेखक का नाम (हिंदी में) :
- (अंग्रेजी में) :
- क. सह-लेखक का पूरा पता :
- ख. टेलीफोन/मोबाइल नं. :
- ग. ई-मेल पता :
6. पुस्तक के प्रकाशक का नाम :
- क. प्रकाशक का पूरा पता :
- ख. प्रकाशन का वर्ष :
7. क्या पुस्तक को पहले भी किसी सरकारी संगठन द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है : हां/नहीं
- यदि हां, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें :
- i. किस वर्ष में भेजी गई :
- ii. किसे भेजी गई (पूरा पता) :
- iii. क्या कोई पुरस्कार दिया गया :
8. कोई अन्य सूचना, जो लेखक देना चाहे :
9. घोषणा
- क. मैंने योजना के नियम व शर्तों को पढ़ लिया है और ये मुझे पूरी तरह से मान्य हैं।
- ख. मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि :—
- i. मैं/हम भारत के नागरिक हैं।
- ii. मैंने/हमने पुस्तक को मूल रूप से हिंदी में लिखा है।
- iii. मैंने/हमने पुस्तक को अन्य भाषा से हिंदी में अनूदित किया है और इसके लिए पुस्तक के प्रकाशक से आवश्यक अनुमति ले ली गई है। (अनुमति की प्रति अपलोड की गई है)
- iv. इस योजना के तहत मेरी/हमारी पुस्तक की प्रविष्टि से किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है।
- v. मैंने/हमने पुस्तक को मेरे/हमारे शासकीय कार्य के भाग के रूप में मेरी/हमारी शासकीय हैसियत में नहीं लिखा/अनूदित किया है।
- vi. मैं/हम पुस्तक में दिए गए तथ्यों और आंकड़ों के लिए स्वयं जिम्मेवार है।
- vii. पुस्तक को इस योजना के तहत पहले नहीं भेजा गया था।

मैं/हम योजना के प्रावधानों का पालन करने का वचन देते हैं।

स्थान:

दिनांक:

लेखक(कों) के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-II

विभिन्न गतिविधियों के लिए समय-सारणी

क्रम सं.	गतिविधियां	तारीख/माह
1.	प्रविष्टियां शुरू करने की तारीख	1 जनवरी
2.	प्रविष्टियों के लिए अंतिम तारीख	30 जून
3.	विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा प्रविष्टियों (पुस्तकों) के मूल्यांकन की प्रक्रिया	1 जुलाई से 31 जुलाई
4.	सचिव/मंत्री महोदय द्वारा अनुमोदन	1 सितम्बर तक
5.	पुरस्कारों की घोषणा की तारीख	14 सितम्बर (हिंदी दिवस)
6.	पुरस्कार वितरण	पुरस्कारों का वितरण एमएनआरई द्वारा यथानिर्धारित तारीख और समय पर माननीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री/राज्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एमएनआरई द्वारा आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक/समारोह में किया जाएगा।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, भारत का निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

संजय कुमार शाही
वैज्ञानिक – 'डी'

MINSITRY OF HOME AFFAIRS
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi-110001, the 16th August 2022

No. 20012/02/2019-OL(Policy)—In pursuance of the Office Memorandum No. LAFEAS-CO18012(32)/1/2022-Committee Section(Coord.)-RSS dated 03.08.2022 of the Rajya Sabha Secretariat, the following Hon'ble Members of the Rajya Sabha are appointed as the Member of the Parliamentary Committee on Official Language :—

1. Smt. Sangeeta Yadav
2. Sh. Sujeet Kumar

MEENAKSHI JOLLY
Joint Secretary

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

New Delhi-110003, the 22nd August 2022

RESOLUTION

No.254/2/2022-HINDI-MNRE—To promote original book writing in Hindi or translated in Hindi, related to the subjects of New and Renewable Energy, Akshay Urja Puraskar Yojna (Previously Prakritik Urja Puraskar Yojna) was introduced in the Ministry of New and Renewable Energy. Now the Scheme has been renamed as 'Rashtriya Akshay Urja Rajbhasha Puraskar Yojana' with effect from the awards for the Calender Year 2020 and in supersession of the previous guidelines relating to erstwhile Scheme, the revised/ amended/ renamed Scheme is as under:—

1. Name : The scheme may be called 'Rashtriya Akshay Urja Rajbhasha Puraskar Yojana' for the original books written in Hindi and translated in Hindi on the subjects relating to New and Renewable Energy.
2. Definitions : In this scheme, unless the context otherwise requires —
 - i. "Yojana" means the award scheme of Ministry of New and Renewable Energy for encouraging writing of books in Hindi and translation of books in Hindi in the field of New and Renewable Energy.
 - ii. "Original" means originally written in Hindi and published for the first time.
 - iii. "Translated" means translated into Hindi from other languages and published for the first time.
 - iv. "Book" means published books.
 - v. "Year" means Calendar year.
3. Objective: Ministry of New and Renewable Energy deals with technical/scientific subjects in official work. Difficulty is being faced to increase the use of Hindi in the field of knowledge/new and renewable energy (NRE) based subjects in the official work due to scarcity of books in Hindi. Employees also do face difficulties in doing their official work in Hindi in these subjects as they are not acquainted with Hindi terminologies of knowledge/NRE. MNRE is undertaking this scheme with the sole objective to encourage writing of books in Hindi and translation of books in Hindi in the field of NRE.
4. Awards : Following awards will be given under this scheme :

Category	First Prize	Second Prize
1. Amount of cash award for the books written originally in Hindi.	Rs. 1,50,000/- + A Certificate of appreciation + A Memento	Rs. 1,00,000/- + A Certificate of appreciation + A Memento
2. Amount of cash award for the books translated into Hindi from other languages.	Rs. 1,00,000/- + A Certificate of appreciation + A Memento	Rs. 75,000/- + A Certificate of appreciation + A Memento

5. Eligibility Criteria :

- i. The author should be a citizen of India.
- ii. The book may be of various subjects relating to New and Renewable Energy.

For example;

Solar Thermal, Wind, Solar PV, Biomass, Biogas, Bio-energy, Small Hydro Power, Waste to Energy, Hydrogen Energy, Geo Thermal Energy, Ocean Energy, New and Renewable Energy sources etc.

- iii. All authors, whether a Govt. employee or a Non-Governmental person, can participate.

6. General Conditions :

- i. Entry can be sent for only one of the above categories mentioned at para 4 above. In case of author being more than one, each co-author must apply in prescribed format separately.
- ii. Book should contain minimum 100 pages.
- iii. Book should be an analytical review on the subject it deals with. Books written in the form of thesis of Ph. D, Poem, Novel, Story, Play etc. or textbooks shall not be eligible.
- iv. Book submitted earlier under the Scheme will not be accepted again.
- v. Books awarded previously by any government organisation shall not be eligible under this scheme. The author of book must inform immediately if the book is awarded under any other award scheme, before the declaration of the awards under this scheme.
- vi. The author of book shall be responsible for facts and data given in the book and must give references wherever possible as a proof.
- vii. If a person has received a prize under this scheme during preceding three years, his/her entry shall not be considered. However, a co-author (if any) can participate in the scheme.
- viii. If the Evaluation Committee arrives at a conclusion that none of the books, sent as entries is suitable for the award, Committees' decision in this regard shall be considered as final.
- ix. In case, a book selected for the award, has more than one author, award money shall be divided equally among them.

7. Mode of calling the entries :

- i. For inviting the entries for the awards, designated portal shall be opened from 1st January to 30th June every year. The Ministry will write to all the Central Ministries/ Departments, State Governments, UTs for giving wide publicity for the awards and also sending entries through the designated portal.
- ii. The information will be simultaneously placed on Ministry's website and other social media platforms as well as any other medium of communication, as may be decided, alongwith relevant details.

8. Procedure for sending entries:

- i. Entries for the award shall be received through online mode only (not email or offline) on MNRE Portal/National Award Portal. Offline entries will not be accepted. The entries would be submitted to the Ministry of New and Renewable Energy with details as per online entry form (Annexure-I) alongwith supporting documents as mentioned in the entry form (i.e. original/ translated book/permission letter etc.).
- ii. An author may send only one entry in the scheme.

9. Evaluation procedure of Books :

- i. Entries (Books) received under the scheme will be evaluated by an Evaluation Committee of experts constituted by the MNRE. The Committee will comprise of the following:-
 - a. Joint Secretary or equivalent level/Scientist 'G'—Chairperson
 - b. Three Scientists (F/E/D/C)—Member
 - c. Deputy Director (OL)/Assistant Director (OL)—Member Secretary

- ii. The awards will be decided by the Evaluation Committee/Award Committee constituted by the Ministry.
- iii. If during any year, a book is not found suitable for the award, the Award Committee may decide to withhold the award.
- iv. The book shall be assessed on the basis of the following criteria :

Sl. No.	Assessment Criteria	Weightage
1.	Contents of book	15%
2.	Factuality and practicality	15%
3.	Originality	15%
4.	Language and style	15%
5.	Standardness and uniformity of words	15%
6.	Relevance as per the scope of work of MNRE	15%
7.	Significance of pictures	05%
8.	Any other assessment parameters which Assessment Committee may devise.	05%

- v. Experts of Evaluation Committee will be entitled to honorarium as per instructions issued by GOI from time to time.
 - vi. MNRE will take decision on recommendations made by the Evaluation Committee.
10. Calendar of activities to be followed :
- The calendar of activities to be followed each year with regard to the awards is given at Annexure-II.
11. Declaration and distribution of awards :
- i. Awardees will be informed about the awards by email and the information will also be uploaded on the Ministry's website.
 - ii. After declaration of the awards, winners will be awarded in a function/meeting of Hindi Salahkar Samiti organised by MNRE under the Chairmanship of Hon'ble Minister (NRE)/MOS (NRE) on the date fixed by MNRE.
 - iii. Outstation Awardees will get re-imbursement of 2nd AC rail fare for to and fro journey and DA for stay as per rules of GOI. Arrangement for staying in Delhi will have to be made by the awardee himself/herself.
12. General Information :
- i. The author, whose book has been selected for award under this scheme, will be entitled to retain the copyright on his/her book.
 - ii. No correspondence will be entertained regarding the selection of books for awarding of prize or the procedure regarding the selection of books for the award.
 - iii. Detailed information regarding the Scheme is also available on MNRE website www.mnre.gov.in
13. Miscellaneous Provisions Governing the Awards:
- i. The Ministry reserves the right to reject any entry without assigning and/or disclosing any reason.
 - ii. In case of non-receipt of proper books/entries for the consideration of awards in a particular year, the award would be considered as lapsed for that year.
 - iii. The decision of the Government with regard to selection of awardees shall be final and binding and no person including the applicant will have the right to question the decision of the Government or to challenge the validity of such decision.
 - iv. It is an ongoing scheme, however it may be reviewed after the awards for the Calender Year 2024 for better implementation.

14. Right to relax the scheme :

If it is necessary or expedient in the opinion of the Central Government to do so, documenting the reason for it, any of the provisions of these regulations may be relaxed by issuing an order.

ANNEXURE-I

ENTRY FORM

‘Rashtriya Akshay Urja Rajbhasha Puraskar Yojana’ for Citizens of India for the original books written in Hindi and translated into Hindi from other languages in the field of New and Renewable Energy

(Note : In case of authors more than one, each co-author shall fill the above form separately.)

Upload recent
passport size photo

1. Title of the Book (in Hindi) :
(In English) :
2. Whether the book is original in Hindi : Yes/No (If yes, please upload book)
3. Whether the book is translated into Hindi : Yes/No (If yes, please upload book)
4. The subjects dealt with in the book :
5. i. Name of the author (in Hindi) :
(in English) :
a. Full Address of author :
b. Telephone/Mobile No :
c. Email address :
ii. Name of Co-author (in Hindi) :
(in English) :
a. Full Address of Co-author :
b. Telephone/Mobile No :
c. Email address :
6. Name of the publisher of book :
a. Full address of the publisher :
b. Year of publishing :
7. Had the book been awarded by any Government organisation previously: Yes/No
If Yes, please give full details :
i. Year in which sent :
ii. To whom it was sent (full address) :
iii. Whether any award was given :
8. Any other information which Author wants to give.

9. Declaration

- a. I have read the rules and regulations of the scheme and I fully agree with them.
- b. I/we hereby certify that:
 - i. I/we am/are a citizen(s) of India.
 - ii. The book has been written originally in Hindi by me/us.
 - iii. The book has been translated into Hindi from other languages by me/us and for this necessary permission has been obtained from the author of the book. (Copy of permission is uploaded)
 - iv. By entering of my/our book under this scheme, the copyright of any other person is not violated.
 - v. I/we have not written/translated the book in my/our official capacity as a part of my/our official duties.
 - vi. I/we shall be responsible for the facts and data given in the book.
 - vii. The book was not sent under this scheme earlier.

I/we undertake to abide by provisions of the Scheme.

Signature of the Author(s)

Place:

Date:

Annexure-II

CALENDER OF ACTIVITIES TO BE FOLLOWED

Sl. No.	Activities	Date/Month
1.	Entry start date	1 st January
2.	Entry end date	30 th June
3.	Evaluation process of entries (Books) by the Evaluation Committee of Experts	1 st July to 31 st July
4.	Approval by the Secretary/Minister	Upto 1 st September
5.	Announcement date	14 th September (Hindi Divas)
6.	Presentation of Awards	Awards will be presented in a function/meeting of Hindi Salahkar Samiti organised by MNRE under the Chairmanship of Hon'ble Minister (NRE)/MOS(NRE) on a Date and time fixed by MNRE.

ORDER

It is ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, President's Secretariat, Vice- President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Committee of Parliament on Official Language, NITI Aayog, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Election Commission of India, Union Public Service Commission and all Ministries and Departments of the Govt. of India.

It is also ordered that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SANJAY KUMAR SHAHI
Scientist 'D'